International Journal of Academic Excellence and Research (IJAER)
e-ISSN: 3107-3913 || Peer Reviewed || Open Access
Publication Impact Factor (I2OR) : 2.015
Vol. 02, No. 02, April-June, 2026, pp 137-148
© Copyright by MGM Publishing House (MGMPH)
www.mgmpublications.com

स्मार्ट पंचायत और महिला नेतृत्वः टेक्नोलॉजी के उपयोग का विश्लेषण

प्रियंका चौधरी[1*] | डॉ. जगमाल सिंह शेखावत[2]

[1]शोधकर्ता, लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

[*]**Corresponding author:** princychoudhary0594@gmail.com

Citation: चौधरी, प्रियंका एवं शेखावत, जगमाल (2026). स्मार्ट पंचायत और महिला नेतृत्वः टेक्नोलॉजी के उपयोग का विश्लेषण. International Journal of Academic Excellence and Research, 02(02), 137–148. https://doi.org/10.62823/IJAER/02.02.217

सारः *"स्मार्ट पंचायत और महिला नेतृत्वः टेक्नोलॉजी के उपयोग का विश्लेषण" विषय पर आधारित यह शोध–पत्र ग्रामीण भारत में डिजिटल गवर्नेंस और महिला नेतृत्व के बदलते संबंधों को समझने का प्रयास करता है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि "स्मार्ट पंचायत" केवल तकनीकी व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी बनाने की प्रक्रिया है। डिजिटल इंडिया अभियान के बाद पंचायतों में ई–ग्राम स्वराज पोर्टल, डिजिटल भुगतान, जीआईएस मैपिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएँ लागू हुईं, जिन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नया स्वरूप दिया। शोध–पत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका अब केवल औपचारिक नहीं रह गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें प्रशासनिक जानकारी तक सीधी पहुँच प्रदान की है, जिससे उनके आत्मविश्वास और निर्णय–क्षमता में वृद्धि हुई है। कई महिला सरपंच अब योजनाओं की निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता और नागरिक संवाद में तकनीकी साधनों का उपयोग कर रही हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को कम करने में भी सहायता की है। हालाँकि, अध्ययन यह भी दर्शाता है कि तकनीक का लाभ सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। तकनीकी साक्षरता का अभाव, इंटरनेट और संसाधनों की कमी, स्थानीय भाषाई समस्याएँ, साइबर सुरक्षा का खतरा और पितृसत्तात्मक मानसिकता जैसी बाधाएँ महिला नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। कई क्षेत्रों में "प्रधान–पति" की प्रवृत्ति डिजिटल माध्यमों में भी दिखाई देती है, जहाँ तकनीकी कार्य पुरुष सदस्य नियंत्रित करते हैं। शोध–पत्र का निष्कर्ष यह है कि स्मार्ट पंचायत की सफलता केवल डिजिटल उपकरणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तकनीक को सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और स्थानीय भागीदारी से कितना जोड़ा जाता है। महिला प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय भाषा आधारित प्रशिक्षण, डिजिटल सहयोग केंद्र, साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशासनिक संवेदनशीलता को मजबूत करना आवश्यक है। अध्ययन यह मानता है कि यदि तकनीक को समावेशी दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तो स्मार्ट पंचायत ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और मानवीय बना सकती है।*

Article History:
Received: 01 May, 2026
Revised: 19 May, 2026
Accepted: 20 May, 2026
Published Online: 26 May, 2026

शब्दकोशः
डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पंचायत, महिला नेतृत्व, पंचायतीराज, पारदर्शिता, ई–ग्राम स्वराज, डिजिटल डिवाइड, तकनीकी साक्षरता।

प्रस्तावना

भारत में ग्रामीण शासन व्यवस्था लंबे समय तक पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचों पर आधारित रही है, जहाँ निर्णय–प्रक्रिया मुख्यतः कागजी अभिलेखों, सीमित जनभागीदारी और स्थानीय शक्ति–संतुलन के इर्द–गिर्द संचालित होती थी। लेकिन पिछले एक दशक में डिजिटल तकनीक ने प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति को तेजी

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by MGM Publishing House. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

से बदलना शुरू किया है। "डिजिटल इंडिया" अभियान ने शासन के लगभग प्रत्येक स्तर को तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया, और इसका प्रभाव पंचायतीराज संस्थाओं तक भी पहुँचा। यही वह बिंदु है जहाँ "स्मार्ट पंचायत" की अवधारणा उभरती है। स्मार्ट पंचायत केवल इंटरनेट या कंप्यूटर उपलब्ध करा देने भर का विचार नहीं है। यह ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें तकनीक को शासन का उपकरण माना जाता है। ई–ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन लेखा प्रणाली, जीआईएस आधारित संपत्ति मानचित्रण, डिजिटल भुगतान और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसे साधनों ने पंचायत प्रशासन की कार्यशैली को बदलना शुरू किया है। हालाँकि, तकनीकी बदलाव केवल संरचनात्मक नहीं होतेय वे सामाजिक संबंधों और शक्ति–संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जब हम "स्मार्ट पंचायत" की चर्चा करते हैं, तो महिला नेतृत्व का प्रश्न स्वतः महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायतों में महिलाओं को संवैधानिक आरक्षण मिलने के बाद लाखों महिलाएँ स्थानीय शासन का हिस्सा बनीं, लेकिन डिजिटल शासन व्यवस्था ने उनके सामने एक नई चुनौती और एक नया अवसर दोनों प्रस्तुत किए हैं।

ग्रामीण भारत की बड़ी संख्या में महिलाएँ ऐसे सामाजिक परिवेश से आती हैं जहाँ तकनीक तक उनकी पहुँच सीमित रही है। मोबाइल फोन का उपयोग, इंटरनेट आधारित सेवाओं की समझ, ऑनलाइन दस्तावेज प्रबंधन या डिजिटल वित्तीय प्रणालीकृये सभी क्षेत्र लंबे समय तक पुरुष–प्रधान रहे हैं। ऐसे में जब पंचायत प्रशासन डिजिटल माध्यमों की ओर बढ़ता है, तो महिला प्रतिनिधियों के सामने केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और तकनीकी दोनों प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। फिर भी यह पूरी कहानी बाधाओं तक सीमित नहीं है। देश के अनेक हिस्सों में महिला सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने डिजिटल साधनों का उपयोग करके प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। कई पंचायतों में महिलाएँ स्वयं ऑनलाइन बैठकें संचालित कर रही हैं, सरकारी योजनाओं की प्रगति पोर्टल पर अपडेट कर रही हैं, और डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने का प्रयास कर रही हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक हैकृतकनीक अपने आप परिवर्तन नहीं लाती। परिवर्तन तब होता है जब तकनीक को सामाजिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ा जाता है। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल औपचारिकता बनकर रह जाएँ और महिलाओं को उनका वास्तविक उपयोग समझने का अवसर न मिले, तो "स्मार्ट पंचायत" केवल सरकारी दस्तावेजों का शब्द बनकर रह जाएगी। लेकिन यदि तकनीक को प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सहयोग के साथ जोड़ा जाए, तो यही व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र को नई दिशा दे सकती है।

इस शोध–पत्र का उद्देश्य इसी अंतर्विरोध को समझना है। यह अध्ययन केवल यह नहीं देखता कि पंचायतों में कौन–कौन सी डिजिटल तकनीकें लागू की जा रही हैं, बल्कि यह भी विश्लेषण करता है कि महिला नेतृत्व इन तकनीकों को किस प्रकार ग्रहण कर रहा है, किन बाधाओं का सामना कर रहा है, और किस हद तक डिजिटल शासन ग्रामीण समाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत कर पा रहा है।

इसके साथ ही यह शोध यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या "स्मार्ट पंचायत" वास्तव में समावेशी है? क्या तकनीक ने महिलाओं को अधिक सशक्त बनाया है, या कई मामलों में उसने नए प्रकार की निर्भरता भी उत्पन्न की है? इन प्रश्नों का उत्तर केवल प्रशासनिक आँकड़ों में नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं में छिपा हुआ है।

इस अध्ययन में डिजिटल गवर्नेंस को केवल तकनीकी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक माध्यम के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से महिला नेतृत्व के संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि तकनीक और लोकतंत्र का संबंध तभी सार्थक होगा, जब वह समाज के उन वर्गों तक भी प्रभावी रूप से पहुँचे, जो लंबे समय तक सत्ता और संसाधनों से दूर रहे हैं।

स्मार्ट पंचायत की अवधारणा

"स्मार्ट पंचायत" शब्द सुनने में आधुनिक और तकनीकी प्रतीत होता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ केवल डिजिटल उपकरणों तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण प्रशासन की ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें तकनीक का उपयोग स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मार्ट पंचायत पारंपरिक पंचायत व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस का संगम है। भारत में पंचायतीराज संस्थाएँ लंबे समय तक कागजी प्रक्रियाओं और धीमी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी रहीं। योजनाओं की जानकारी लोगों तक समय पर नहीं पहुँचती थी, अभिलेखों का रख–रखाव कठिन था और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर अक्सर प्रश्न उठते थे। डिजिटल तकनीक के प्रवेश ने इन समस्याओं को कम करने की दिशा में एक नया रास्ता खोला।

स्मार्ट पंचायतः परिभाषा और मूल भावना

स्मार्ट पंचायत को केवल "कंप्यूटरयुक्त पंचायत" कहना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी मूल भावना यह है कि तकनीक का उपयोग ग्रामीण नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए किया जाए।

एक ऐसी पंचायत जहाँः

- योजनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हो,
- ग्रामसभा की सूचनाएँ डिजिटल माध्यम से साझा की जाएँ,
- भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जाए,
- संपत्तियों का रिकॉर्ड ळैप् आधारित प्रणाली में सुरक्षित हो,
- नागरिक शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकें उसे स्मार्ट पंचायत की दिशा में अग्रसर माना जा सकता है।

यहाँ "स्मार्टनेस" का अर्थ केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता भी है। यदि तकनीक लोगों की समस्याओं को कम करने के बजाय उन्हें और जटिल बना दे, तो वह स्मार्ट गवर्नेंस नहीं कहलाएगी। स्मार्ट पंचायत के प्रमुख उद्देश्यः स्मार्ट पंचायत मॉडल कई प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

- पारदर्शिता बढ़ानाः डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मनरेगा भुगतान सीधे बैंक खातों में हो, तो बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करनाः जब पंचायत की योजनाएँ, बजट और प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, तो नागरिक प्रशासन से प्रश्न पूछने की स्थिति में आते हैं। इससे जवाबदेही की संस्कृति विकसित होती है।
- सेवा वितरण को तेज करनाः जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन या भूमि रिकॉर्ड जैसी सेवाएँ डिजिटल माध्यम से अधिक तेजी से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- नागरिक भागीदारी को बढ़ानाः व्हाट्सऐप समूह, मोबाइल ऐप और डिजिटल सूचना बोर्ड ग्रामसभा की जानकारी लोगों तक तेजी से पहुँचाने में सहायक होते हैं। इससे पंचायत और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ता है।

स्मार्ट पंचायत के तकनीकी घटक

- **ई–ग्राम स्वराज पोर्टलः** भारत सरकार द्वारा विकसित ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायत प्रशासन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से पंचायतों की विकास योजनाएँ, बजट और कार्य प्रगति ऑनलाइन दर्ज की जाती है। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह पोर्टल दोहरी भूमिका निभाता हैः एक ओर यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, दूसरी ओर डिजिटल कौशल की आवश्यकता भी उत्पन्न करता है। जीआईएस मैपिंग आधारित मैपिंग पंचायतों की संपत्तियों, जल स्रोतों और विकास कार्यों की निगरानी में उपयोगी सिद्ध हो रही है। कई राज्यों में महिला सरपंच जल संरक्षण परियोजनाओं और सड़क निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए मैपिंग का उपयोग कर रही हैं। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन अधिक सटीक तरीके से संभव हो पाता है।
- **डिजिटल भुगतान प्रणालीः** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने पंचायत वित्तीय प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाया है। इसका एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह है कि लाभार्थियों को सीधे भुगतान मिलने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक शोषण की संभावनाएँ कम होती हैं। महिला प्रतिनिधि इस व्यवस्था को विशेष रूप से उपयोगी मानती हैं क्योंकि इससे विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ और स्वयं सहायता समूहों के भुगतान अधिक पारदर्शी हुए हैं। बायोमेट्रिक उपस्थितिः कई पंचायतों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग शुरू किया गया है। इससे कार्यस्थल पर अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की अनियमित उपलब्धता कई बार इस प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
- **तकनीक और सामाजिक वास्तविकता का अंतर्विरोधः** स्मार्ट पंचायत की अवधारणा जितनी आकर्षक दिखाई देती है, व्यवहार में उतनी सरल नहीं है। ग्रामीण भारत में डिजिटल असमानता एक बड़ी चुनौती है। कई महिला प्रतिनिधियों के पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन उसका उपयोग सीमित है। कई बार मोबाइल फोन परिवार के पुरुष सदस्य नियंत्रित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी आधारित डिजिटल इंटरफेस के बीच भी समस्या आती है। यही कारण है कि तकनीकी संरचना तैयार कर देना पर्याप्त नहीं है। यदि प्रशिक्षण, सामाजिक समर्थन और प्रशासनिक सहयोग न हो, तो डिजिटल गवर्नेंस केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह सकता है। स्मार्ट पंचायत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तकनीक को किस हद तक स्थानीय सामाजिक संरचना के अनुरूप बनाया जाता है। विशेष रूप से महिला नेतृत्व के संदर्भ में यह आवश्यक है कि डिजिटल साधनों को "सुलभ" और "समझने योग्य" बनाया जाए, अन्यथा तकनीक सशक्तिकरण के बजाय निर्भरता का माध्यम भी बन सकती है।

महिला नेतृत्व और डिजिटल गवर्नेंस

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को अक्सर राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन डिजिटल गवर्नेंस के दौर में यह भागीदारी एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। अब महिला प्रतिनिधियों की भूमिका केवल बैठकों में उपस्थित रहने या योजनाओं पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हैय उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग करें, डिजिटल रिपोर्टिंग समझें, वित्तीय लेन–देन की निगरानी करें और नागरिकों तक तकनीकी माध्यमों से सूचनाएँ पहुँचाएँ। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता हैकृक्या ग्रामीण भारत की महिला प्रतिनिधियाँ डिजिटल शासन व्यवस्था के साथ सहज रूप से जुड़ पा रही हैं? या तकनीक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को उनके लिए और अधिक जटिल बना दिया है? इस प्रश्न का उत्तर एकतरफा नहीं है। एक ओर अनेक महिला प्रतिनिधियों ने डिजिटल साधनों को अपनाकर पंचायत प्रशासन में

उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संरचना, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी और डिजिटल निर्भरता जैसी समस्याएँ अब भी मौजूद हैं।

- **डिजिटल गवर्नेंस और महिला नेतृत्व का बदलता संबंधः** ग्रामीण प्रशासन में लंबे समय तक महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती रही। उन्हें अक्सर "औपचारिक प्रतिनिधि" समझा जाता था, जबकि निर्णय–प्रक्रिया पुरुषों के नियंत्रण में रहती थी। लेकिन डिजिटल गवर्नेंस ने इस व्यवस्था में धीरे–धीरे बदलाव लाना शुरू किया है। जब पंचायत का कार्य ऑनलाइन पोर्टलों, डिजिटल भुगतान और डेटा आधारित निगरानी से जुड़ने लगा, तब प्रतिनिधियों को स्वयं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता महसूस हुई। इससे कई महिला प्रतिनिधियाँ सीधे शासन प्रक्रिया में सक्रिय हुईं। उदाहरण के लिए, पहले ग्राम पंचायत के वित्तीय रिकॉर्ड अक्सर सचिव या अन्य कर्मचारियों के नियंत्रण में रहते थे। अब ई–ग्राम स्वराज जैसे पोर्टल पर योजनाओं और व्यय का विवरण ऑनलाइन दर्ज होने लगा है। इससे महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक जानकारी तक सीधी पहुँच मिलने लगी। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि शक्ति–संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी तक पहुँच बढ़ने का अर्थ हैकृ निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि।
- **ई–ग्राम स्वराज और महिला प्रतिनिधियों की भूमिकाः** ई–ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायत प्रशासन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत विकास योजनाएँ, बजट, परियोजनाएँ और वित्तीय प्रगति ऑनलाइन दर्ज की जाती है। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह पोर्टल कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
  - **प्रशासनिक जानकारी तक पहुँचः** पहले कई महिला सरपंच यह शिकायत करती थीं कि उन्हें योजनाओं की पूरी जानकारी समय पर नहीं मिलती। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस निर्भरता को कुछ हद तक कम किया है। अब वे स्वयं पोर्टल पर जाकर योजनाओं की स्थिति देख सकती हैं।
  - **पारदर्शिता में वृद्धिः** जब पंचायत का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, तो स्थानीय स्तर पर सवाल पूछने की संस्कृति विकसित होती है। महिला प्रतिनिधियों ने कई जगहों पर इसका सकारात्मक उपयोग किया है। कुछ पंचायतों में महिला सरपंचों ने ग्रामसभा बैठकों के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाकर लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि पंचायत का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इससे जनता का विश्वास बढ़ा।
  - **प्रशासनिक आत्मविश्वासः** डिजिटल प्रणाली को समझने के बाद कई महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पहले जो महिलाएँ सार्वजनिक मंचों पर बोलने से हिचकती थीं, वे अब योजनाओं के डिजिटल विवरण प्रस्तुत कर रही हैं। यह बदलाव धीरे–धीरे नेतृत्व शैली को भी प्रभावित कर रहा है।
- **डिजिटल भुगतान और वित्तीय पारदर्शिताः** पंचायत प्रशासन में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें नई नहीं हैं। नकद भुगतान और कागजी अभिलेखों के कारण कई बार भ्रष्टाचार की संभावनाएँ बनी रहती थीं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। ऑनलाइन बैंकिंग आधारित भुगतान प्रणाली ने पंचायत वित्तीय प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाया है।

  महिला प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था को कई कारणों से सकारात्मक माना हैः
  - लाभार्थियों को सीधे भुगतान मिलता है
  - बिचौलियों की भूमिका कम होती है
  - भुगतान प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है
  - पंचायत स्तर पर जवाबदेही बढ़ती है

विशेष रूप से विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूहों और मनरेगा भुगतान जैसे क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान ने महिलाओं के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। हालाँकि, यहाँ भी एक विरोधाभास दिखाई देता है। कई ग्रामीण महिलाओं के बैंक खाते तो खुले हैं, लेकिन बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी सीमित है। कई मामलों में डिजिटल भुगतान की जानकारी परिवार के पुरुष सदस्य नियंत्रित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल तकनीकी सुविधा उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं हैय वित्तीय साक्षरता भी उतनी ही आवश्यक है।

- सोशल मीडिया और पंचायत नेतृत्वः पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया भी पंचायत प्रशासन का एक अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। कई महिला सरपंच व्हाट्सऐप समूहों और फेसबुक पेजों का उपयोग पंचायत की सूचनाएँ साझा करने, योजनाओं की जानकारी देने और लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कर रही हैं।
  - डिजिटल संवाद की नई संस्कृतिः पहले पंचायत और नागरिकों के बीच संवाद मुख्यतः ग्रामसभा बैठकों तक सीमित था। अब मोबाइल आधारित संवाद ने इस दूरी को कम किया है।
  - कुछ पंचायतों मेंः
  - पानी की समस्या की सूचना व्हाट्सऐप पर दी जाती है
  - सड़क मरम्मत की तस्वीरें साझा की जाती हैं
  - टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी ऑनलाइन भेजी जाती है

  महिला प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े अभियानों में सोशल मीडिया का उपयोग प्रभावी ढंग से किया है।
- **डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की राजनीतिः** डिजिटल तकनीक ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता की नई संभावनाएँ पैदा की हैं, लेकिन इसके साथ एक नई राजनीति भी उभरी है। पहले कई प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सीमित लोगों तक ही रहती थीं। अब जब डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, तो पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशैली अधिक सार्वजनिक निगरानी में आ गई है। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह स्थिति दो प्रकार से प्रभाव डालती हैकृ

  सकारात्मक पक्षः
  - उन्हें अपनी कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिलता है
  - जनता के साथ सीधा संवाद बढ़ता है
  - पारदर्शिता के कारण विश्वास मजबूत होता है

  नकारात्मक पक्षः
  - तकनीकी त्रुटियों के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है
  - कई बार पुरुष सहयोगी उनकी डिजिटल सीमाओं का मजाक उड़ाते हैं
  - ऑनलाइन रिकॉर्ड की जटिलता उन्हें असहज करती है

  इसलिए डिजिटल गवर्नेंस केवल सुविधा नहीं, बल्कि एक नई प्रशासनिक चुनौती भी है।
- **डिजिटल डिवाइडः** सबसे बड़ी चुनौतीः महिला नेतृत्व और स्मार्ट पंचायत की चर्चा "डिजिटल डिवाइड" को समझे बिना अधूरी रहेगी। डिजिटल डिवाइड केवल इंटरनेट की अनुपलब्धता नहीं है। यह तकनीक तक असमान पहुँच की समस्या है। ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों के संदर्भ में यह कई स्तरों पर दिखाई देती हैः

- **तकनीकी संसाधनों की कमीः** कई पंचायतों में कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था सीमित है। कई बार महिला प्रतिनिधि अपने निजी मोबाइल फोन पर ही प्रशासनिक कार्य करती हैं।
- **डिजिटल साक्षरता का अभावः** मोबाइल का सामान्य उपयोग और प्रशासनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग दोनों अलग चीजें हैं।

कई प्रतिनिधियाँः

- पोर्टल लॉगिन करने में कठिनाई महसूस करती हैं
- अंग्रेजी आधारित इंटरफेस से असहज होती हैं
- डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया नहीं समझ पातीं

- **सामाजिक नियंत्रणः** कुछ ग्रामीण परिवारों में महिलाओं के मोबाइल उपयोग पर अनौपचारिक नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण डिजिटल सशक्तिकरण को सीमित कर देता है।

- **"प्रधान–पति" से "डिजिटल प्रतिनिधि" तकः** पंचायत राजनीति में "प्रधान–पति" की अवधारणा लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कई जगहों पर महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। लेकिन डिजिटल गवर्नेंस ने इस व्यवस्था को कुछ हद तक चुनौती भी दी है।

  अब जबः

  - ऑनलाइन मीटिंग होती है
  - डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है
  - पोर्टल आधारित अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई जाती है तब महिला प्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी अनिवार्य होने लगी है।

हालाँकि यह परिवर्तन हर जगह समान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तकनीक ने महिलाओं की औपचारिक भूमिका को कुछ हद तक वास्तविक भागीदारी में बदलने की संभावना पैदा की है।

- **प्रशासनिक अधिकारियों का दृष्टिकोणः** महिला प्रतिनिधियों की डिजिटल भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रशासनिक अधिकारी उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और प्रोत्साहन के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

  लेकिन कई मामलों मेंः

  - अधिकारियों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होता है
  - तकनीकी भाषा अत्यधिक जटिल होती है
  - महिलाओं को "कम सक्षम" मान लिया जाता है

यह रवैया डिजिटल गवर्नेंस की समावेशी भावना को कमजोर करता है। इसलिए प्रशासनिक संवेदनशीलता उतनी ही आवश्यक है जितनी तकनीकी संरचना।

बाधाएँ और चुनौतियाँ

स्मार्ट पंचायत और डिजिटल गवर्नेंस की अवधारणा जितनी आकर्षक दिखाई देती है, जमीनी स्तर पर उसकी प्रक्रिया उतनी ही जटिल है। विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों के संदर्भ में यह जटिलता और अधिक बढ़ जाती है। तकनीक केवल उपकरण नहीं होतीय उसके साथ शक्ति–संबंध, सामाजिक संरचना, शिक्षा, संसाधन और सांस्कृतिक मानसिकताएँ भी जुड़ी होती हैं। इसी कारण यह मान लेना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते ही पंचायतें स्वतः "स्मार्ट" हो जाएँगी, एक अधूरा दृष्टिकोण होगा। वास्तविकता यह है कि महिला प्रतिनिधियों को

डिजिटल गवर्नेंस अपनाने के दौरान अनेक प्रकार की सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **तकनीकी साक्षरता का अभावः सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौतीः** ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी अभी भी डिजिटल तकनीक के साथ सहज नहीं है। महिला प्रतिनिधियों के संदर्भ में यह समस्या और गंभीर हो जाती है क्योंकि उनमें से कई पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएँ होती हैं।

  कई पंचायत प्रतिनिधियों के लिएः

  - ईमेल बनाना,
  - पोर्टल लॉगिन करना,
  - ऑनलाइन फाइल अपलोड करना,
  - डिजिटल भुगतान प्रणाली समझना

  जैसे कार्य शुरुआत में अत्यंत कठिन प्रतीत होते हैं। यह समस्या केवल "तकनीकी ज्ञान" की नहीं हैय इसके पीछे एक लंबा सामाजिक संदर्भ मौजूद है। जिन महिलाओं को वर्षों तक घर की सीमाओं तक सीमित रखा गया हो, उनके लिए अचानक डिजिटल प्रशासन की जिम्मेदारी संभालना स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी संरचना अत्यधिक औपचारिक होती है। तकनीकी शब्दावली, अंग्रेजी आधारित इंटरफेस और कम समय में अधिक जानकारी देने की प्रवृत्ति के कारण महिला प्रतिनिधि सहज रूप से सीख नहीं पातीं। यहाँ समस्या तकनीक की कम और प्रशिक्षण मॉडल की अधिक दिखाई देती है।

- **डिजिटल डिवाइड और लैंगिक असमानताः** डिजिटल इंडिया की चर्चा के बीच "डिजिटल डिवाइड" का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुँच अब भी समान नहीं है। कई परिवारों में स्मार्टफोन पुरुष सदस्यों के नियंत्रण में रहता है। महिलाएँ या तो सीमित समय के लिए फोन उपयोग कर पाती हैं या फिर तकनीक को "पुरुषों का क्षेत्र" मानकर उससे दूरी बनाए रखती हैं। यह स्थिति पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रभावित करती है। कुछ क्षेत्रों में यह देखा गया कि महिला सरपंच के नाम पर चुनी गई प्रतिनिधि के डिजिटल कार्य उनके पति या पुत्र द्वारा किए जाते हैं। इससे "डिजिटल प्रॉक्सी नेतृत्व" की एक नई समस्या उभरती है। पहले जहाँ निर्णयों पर पुरुष नियंत्रण ऑफलाइन था, अब वही नियंत्रण डिजिटल माध्यमों के जरिए भी जारी रहता है। इस प्रकार तकनीक, जो सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती थी, कई बार सामाजिक असमानताओं को नए रूप में पुनः स्थापित भी कर देती है।

- **भाषा और प्रशासनिक इंटरफेस की समस्याः** भारत की डिजिटल प्रशासनिक प्रणालियाँ अभी भी पूर्ण रूप से स्थानीय भाषाओं के अनुकूल नहीं हैं। कई महिला प्रतिनिधि स्थानीय बोली जैसे मारवाड़ी, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणवी या बघेलीकृमें सहज होती हैं, जबकि प्रशासनिक पोर्टल हिंदी या अंग्रेजी आधारित होते हैं। इस अंतर के कारण तकनीकी प्लेटफॉर्म उनके लिए जटिल हो जाते हैं।

  उदाहरण के लिएः

  - पोर्टल पर प्रयुक्त प्रशासनिक शब्द,
  - डिजिटल फॉर्म की भाषा,
  - तकनीकी निर्देश

अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ती है। परिणामस्वरूप महिला प्रतिनिधि कई बार डेटा एंट्री ऑपरेटर या पंचायत सहायकों पर अत्यधिक निर्भर हो जाती हैं। यह निर्भरता उनकी प्रशासनिक स्वायत्तता को सीमित करती है।

- **पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक प्रतिरोधः** महिला नेतृत्व के सामने सबसे गहरी चुनौती केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक है। ग्रामीण समाज के कई हिस्सों में अभी भी यह धारणा मौजूद है कि प्रशासनिक और तकनीकी निर्णय "पुरुषों का कार्य" हैं। जब कोई महिला प्रतिनिधि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए सक्रिय प्रशासनिक भूमिका निभाती है, तो कई बार उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ता है।

  कुछ सामान्य स्थितियाँ इस प्रकार देखी गई हैं:

  - पंचायत बैठकों में उसकी बात को गंभीरता से न लेना
  - तकनीकी विषयों पर उसे "अनुभवहीन" मान लेना
  - डिजिटल कार्यों को पुरुष रिश्तेदारों के माध्यम से करवाने का दबाव
  - सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सक्रियता को लेकर सामाजिक टिप्पणी

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि तकनीक का प्रश्न केवल "उपकरण सीखने" का नहीं है यह शक्ति–संबंधों को चुनौती देने का प्रश्न भी है।

- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल जोखिमः** डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा की समस्या भी उभर रही है। कई महिला प्रतिनिधियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, व्च फ्रॉड, फर्जी लिंक और बैंकिंग साइबर अपराधों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता की कमी के कारण कई पंचायत प्रतिनिधि डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर महिला प्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ या ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसी समस्याएँ भी सामने आने लगी हैं। इससे कई महिलाएँ तकनीक के उपयोग को लेकर असहज महसूस करती हैं।
- **प्रशासनिक ढाँचे की सीमाएँः** डिजिटल पंचायत मॉडल की सफलता प्रशासनिक समर्थन पर भी निर्भर करती है।

  लेकिन कई क्षेत्रों में:

  - इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है
  - कंप्यूटर और तकनीकी उपकरण पर्याप्त नहीं हैं
  - तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होती

ऐसी स्थिति में महिला प्रतिनिधियों के लिए डिजिटल कार्य करना और अधिक कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, कई प्रशासनिक अधिकारी अब भी महिला प्रतिनिधियों को "औपचारिक प्रमुख" के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित करता है।

- **तकनीक बनाम वास्तविक भागीदारीः एक आलोचनात्मक प्रश्न**

  यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है:

  क्या डिजिटल गवर्नेंस वास्तव में लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना रहा है, या केवल प्रशासन को तकनीकी रूप से आधुनिक बना रहा है? यदि तकनीक का उपयोग केवल डेटा अपलोड करने और औपचारिक रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित रह जाए, तो उसका सामाजिक प्रभाव सीमित रहेगा।

सच्चा डिजिटल सशक्तिकरण तब होगा जबः

- महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय लें,
- तकनीक को समझें,
- उसका उपयोग अपने समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए करें।

अर्थात, स्मार्ट पंचायत की सफलता केवल "डिजिटल" होने में नहीं, बल्कि "मानवीय और सहभागी" होने में निहित है।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

भारतीय पंचायतीराज व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ स्थानीय शासन, डिजिटल तकनीक और सामाजिक परिवर्तन एक–दूसरे से गहराई से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। "स्मार्ट पंचायत" की अवधारणा केवल प्रशासनिक आधुनिकीकरण का कार्यक्रम नहीं हैय यह ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, सहभागी और उत्तरदायी बनाने की प्रक्रिया भी है। इस पूरी प्रक्रिया में महिला नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। महिला प्रतिनिधियों ने यह दिखाया है कि तकनीक का उपयोग केवल डेटा प्रबंधन या ऑनलाइन रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। यदि सही अवसर, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन मिले, तो डिजिटल माध्यम ग्रामीण समाज के भीतर संवाद, पारदर्शिता और सामाजिक विश्वास को भी मजबूत कर सकते हैं। हालाँकि, इस परिवर्तन को अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होगा। जमीनी स्तर पर अनेक जटिलताएँ मौजूद हैंकृतकनीकी साक्षरता का अभाव, डिजिटल संसाधनों की कमी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, प्रशासनिक निर्भरता और डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएँ आज भी महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी को सीमित करती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि तकनीक स्वयं परिवर्तन नहीं लातीय परिवर्तन तब आता है जब समाज उस तकनीक को समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ जोड़ता है।

यदि पंचायतों में डिजिटल प्रणाली केवल औपचारिक रिपोर्टिंग का माध्यम बनकर रह जाए, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि वही तकनीकः

- महिलाओं को निर्णय–प्रक्रिया में आत्मनिर्भर बनाए,
- ग्रामीण नागरिकों को सूचना तक आसान पहुँच दे,
- स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाए, तो यह ग्रामीण शासन की प्रकृति को बदल सकती है।

भविष्य की राहः कुछ आवश्यक नीतिगत संकेत

- **डिजिटल प्रशिक्षण को स्थानीय संदर्भ से जोड़ना होगाः** महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तकनीकी निर्देशों तक सीमित नहीं होने चाहिए। उन्हें स्थानीय भाषा, व्यवहारिक उदाहरण और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार करना होगा। "एक जैसा प्रशिक्षण" ग्रामीण भारत की विविधता के लिए प्रभावी नहीं हो सकता।
- **पंचायत स्तर पर डिजिटल सहयोग केंद्रों की आवश्यकताः** कई पंचायतों में तकनीकी सहायता की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यदि प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित डिजिटल सहयोगी उपलब्ध हों, तो महिला प्रतिनिधियों की निर्भरता कम हो सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण युवतियों को इस प्रक्रिया से जोड़ना एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश हो सकता है।
- **तकनीक के साथ सामाजिक चेतना भी आवश्यकः** डिजिटल गवर्नेंस की सफलता केवल इंटरनेट और उपकरणों पर निर्भर नहीं करती। समाज में महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने वाली मानसिकता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिएः

- लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम,
- सामुदायिक संवाद,
- और स्थानीय स्तर पर सामाजिक जागरूकता को डिजिटल नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल नैतिकता पर विशेष ध्यानः** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विस्तार के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ेगा। महिला प्रतिनिधियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि वे तकनीक का उपयोग आत्मविश्वास के साथ कर सकें।
- **"स्मार्ट पंचायत" को केवल तकनीकी परियोजना न माना जाएः** सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को केवल "डिजिटल उपकरणों" तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। एक पंचायत तभी वास्तव में स्मार्ट कही जा सकती है जबः
  - वहाँ निर्णय–प्रक्रिया सहभागी हो,
  - महिलाएँ स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकें,
  - सूचना सबके लिए सुलभ हो,
  - और विकास योजनाएँ स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों।

अंतिम टिप्पणी

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व और डिजिटल गवर्नेंस का यह संगम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके भीतर संभावनाएँ भी हैं और विरोधाभास भी। फिर भी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंचायतों में तकनीक का प्रवेश महिलाओं के लिए केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक दृश्यता और आत्मनिर्भरता का नया अवसर भी लेकर आया है। जब एक ग्रामीण महिला प्रतिनिधि स्वयं ऑनलाइन योजना की निगरानी करती है, डिजिटल भुगतान की स्थिति समझती है या ग्रामसभा की सूचना मोबाइल के माध्यम से साझा करती है, तब वह केवल तकनीक का उपयोग नहीं कर रही होतीकृवह ग्रामीण लोकतंत्र की परिभाषा को धीरे–धीरे बदल रही होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, एस. (2010). पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण. नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन।
2. शर्मा, आर. (2015). ग्रामीण शासन और महिला नेतृत्व. जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. वर्मा, के. (2018). स्थानीय लोकतंत्र का समाजशास्त्र. नई दिल्लीः ओरिएंट ब्लैकस्वान।
4. सिंह, वी. (2017). पंचायतीराज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास. इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन।
5. यादव, पी. (2021). डिजिटल इंडिया और ग्राम प्रशासन. नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।
6. चौधरी, एम. (2019). महिला नेतृत्व और ग्रामीण परिवर्तन. भोपालः मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
7. तिवारी, आर. (2016). स्थानीय स्वशासन और सामाजिक न्याय. वाराणसीः विश्वविद्यालय प्रकाशन।
8. दुबे, एस. (2020). ई–गवर्नेंस और पंचायत प्रशासन. नई दिल्लीः अटलांटिक पब्लिशर्स।
9. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India*. Econometrica, 72(5), 1409–1443. Published by Econometric Society.
10. Dreze, Jean, & Sen, Amartya. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions*. Princeton University Press.
11. Nussbaum, Martha C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.

12. Mathew, George. (2003). *Panchayati Raj in India: From Legislation to Movement*. New Delhi: Concept Publishing Company.

13. Buch, Nirmala. (2000). *Women in Panchayats*. New Delhi: Centre for Women's Development Studies.

14. UN Women. (2019). *Women in Politics Report 2019*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

15. Ministry of Panchayati Raj, Government of India. (2023). *Annual Report 2022–23*. New Delhi: Government of India Publication Division.

16. World Bank. (2016). *Digital Dividends: World Development Report*. Washington D.C.: World Bank Publications.

17. Heeks, Richard. (2002). *e-Government in Africa: Promise and Practice*. Manchester: Institute for Development Policy and Management.

18. Bhatnagar, Subhash. (2014). *Public Service Delivery: Role of Information and Communication Technology in Improving Governance*. New Delhi: Sage Publications.

19. Goel, S. (2018). "Women Leadership in Rural Governance." *Indian Journal of Public Administration*, 64(2).

20. Jain, L.C. (2005). "Decentralisation and Local Governance in India." *Economic and Political Weekly*, Vol. 40.

21. Pai, Sudha. (2001). "Pradhan-Pati Culture and Grassroots Democracy." *Social Change Journal*, 31(4).

22. Kumar, A. & Singh, P. (2020). "Digital Literacy among Women Panchayat Representatives." *Journal of Rural Development*, 39(3).

23. Sahoo, N. (2019). "Technology and Democratic Participation in Panchayats." *Indian Governance Review*, 12(1).

❑❑❑